



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं इंटरमीडिएट महाविद्यालय की प्रस्वीकृति/स्थायी प्रस्वीकृति की शर्तों को पूरा किए जाने का पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के संबंध में अति-आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 25/2020

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 833 दिनांक 22.05.2020 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य अवस्थित सभी स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं इंटर महाविद्यालय के सचिव/प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के नियम 7 के आलोक में बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को भी उक्त नियमावली के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही उक्त के अलावे परिषद् स्तर से भी कई विद्यालयों को स्थापना अनुमति प्रदान की गई है। उक्त नियमावली के प्रवृत्त होने के लगभग 11 वर्ष के बाद भी कई विद्यालयों द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। ऐसे स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय नियमावली में अंकित प्रावधान/शर्तों का अनुपालन यदि नहीं करते हैं, तो उनकी स्थापना अनुमति रद्द करने की कार्रवाई किए जाने का विभागीय निदेश प्राप्त है।

साथ ही झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2006 में प्रावधानित शर्तानुसार स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों को स्थायी प्रस्वीकृति लेना अनिवार्य है।

विभागीय पत्र पत्रांक 833 दिनांक 22.05.2020 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वैसे संस्थान जिन्हें झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त है, उन्हें ही अनुदान देय होगा।

अतः एतद् द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय/इंटर महाविद्यालय प्रबंधन को अंतिम रूप से निदेश दिया जाता है कि वे **दिनांक 25.08.2020** तक अपने विद्यालय/महाविद्यालय के प्रस्वीकृति/स्थायी प्रस्वीकृति की अहर्ता पूरी करने से संबंधित प्रमाणिकता के साथ पूर्ण प्रतिवेदन परिषद् के विहित प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को समर्पित करें। साथ ही वैसे स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय प्रबंधन को भी निदेश दिया जाता है कि जिनके द्वारा स्थायी प्रस्वीकृत संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में स्थापना अनुमति प्राप्ति पश्चात् प्रस्वीकृति हेतु परिषद् में पूर्ण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) समर्पित नहीं किए गए हैं, वे निश्चित रूप से उक्त तिथि तक आवेदन समर्पित करेंगे। अन्यथा उक्त संकाय में प्रदत्त स्थापना अनुमति रद्द की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। विहित प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

कृपया इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा परिषद् उनकी स्थापना अनुमति रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/वि.महा.स्था./1041/20/SECY/245/2020

Dt. 29.07.2020

D.O.P. 30.07.2020